कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(Transport Cell)
कचहरी रोड, रांची, पिन – 834001
e-mail :- support@ranchimunicipal.com

अतिअल्पकालीन दर आमंत्रण निविदा सुचना

पत्रांक : 103 / Trans   **दिनांकः–** 22 / 04 / 2022

राँची नगर निगम द्वारा ग्रीष्मकाल में निःशुल्क सार्वजनिक पेय जल मुहैया कराने हेतु तीन माह के लिए प्रतिदिन(न्युनतम 08 घंटे के लिए) के दर पर कुल 20 अद्द ट्रैक्टर (ट्रेलर रहित) की सेवा लेने हेतु दर निर्धारण के लिए स्थानीय ट्रैक्टर मालिकों/फर्मो से Annexure 01 में मुहरबन्द लिफाफा में निविदा दिनांक 30.04.2022 अप० 03:00 बजे तक दर आमंत्रित की जाती है। Annexure 01 निगम के अधिकृत वेवबसाईट www.ranchimunicipal.com से डाउनलोड होगा।

दर प्रस्ताव से संबंधित लिफाफा दिनांक 30.04.2022 को अप० 05:00 बजे खोला जाएगा। प्रस्ताव के लिफाफा खोलने के समय ट्रैक्टर मालिक/फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

दर प्रस्ताव के बंद लिफाफा के साथ Tender Fee 500/–रु० निगम रोकड़ शाखा के काउंटर पर जमा कर रसीद की प्रति जमा करना अनिवार्य है।

स्वीकृत दर पर ट्रैक्टर मालिक से ट्रैक्टर की सेवा तीन माह के लिए लिया जाएगा आवश्यकतानुसार यह समय सीमा घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

नियम एवं शर्ते निगम के अधिकृत वेबसाईट www.ranchimunicipal.com पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए निगम ट्रांसपोर्ट सेल से संपर्क किया जा सकता है।

22/4/22

सहायक नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक :........................../दिनांक

प्रतिलिपि : श्री राजेश, IT Programmer, को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ की इस निविदा को www.ranchimunicipal.com पर/सामान्य शाख इसे निगम के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : श्री गुरुदयाल सिंह, PES, राँची नगर निगम, राँची को सूचनार्थ इस निदेश के साथ कि इस नोटिस को कम से कम तीन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

for 22/4/22

22/4/22

सहायक नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय, राँची नगर निगम, राँची।

(Transport Cell)
कचहरी रोड, रांची, पिन.834001
e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :.....103...../Trans दिनांक :...22.../...04.../2022

अति अल्पकालीन दर आमंत्रण सूचना संख्या...103/Trans... दिनाक ...22.04.2022... से संबंधित नियम एवं शर्ते निम्नवत है:–

1. उपलब्ध कराई जाने वाले ट्रैक्टर स्वयं का **GOOD CONDITION** में परिचालन की स्थिति में होनी चाहिए।
2. वाहन मालिक के द्वारा ट्रैक्टर से भाड़े की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, उसका पंजीकरण मालिक के नाम से होनी चाहिए, साक्ष्य स्वरूप उपलब्ध कराई जाने वाली ट्रैक्टर का RC/INVOICE, बीमा, रोड टैक्स, परमिट, प्रदूषण, वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि कागजात का स्वअभिप्रमाणित निश्चित रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा।
3. मालिका को किसी सरकारी/गैरसरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है इस आशय का Affidavit जमा करना होगा साथ ही उनका निगम के किसी कर्मी से Blood Relation नहीं है का Affidavit भी जमा करना होगा। ट्रैक्टर से आवश्यकतानुसार समय–समय पर कार्य लिया जाएगा तथा प्रतिदिन(न्युनतम 08 घंटे के लिए) के दर से कार्य के अनुसार कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
4. वाहन के साथ के ट्रैक्टर मालिक को चालक उपलब्ध कराना होगा साथ ही वाहन के रख–रखाव एवं मरम्मती उन्हे अपने स्तर से ही कराना होगा।
5. आकस्मिक परिस्थिति में आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर की मांग किये जाने पर 48 घण्टे के अन्दर वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्य मालिक/फर्म/आदि की सेवा लेने का निर्णय लिया जा सकता है।
6. ये सेवा अगले तीन माह के लिए मान्य होगा आवश्यकता के आधार पर कार्य अवधि अधोहस्ताक्षरी के आदेश से बढाया या घटाया जा सकेगा।
7. भाड़ा पर लिये गये ट्रैक्टर में ईधन निगम स्तर किलोमिटर/घंटामिटर के दर से देय होगा।
8. ट्रैक्टर को प्रतिदिन कम–से–कम आठ घंटा कार्य करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता के आधार पर निगम के विभिन्न वार्डो में कार्य कराया जा सकेगा। संबंधित सुपरवाईजरों/परिवहन पर्यवेक्षक द्वारा किए गए कार्य के समय का सत्यापन के आधार पर विपत्र भुगतान किया जा सकेगा।
9. किए गए कार्य के विरूद्ध प्रस्तुत विपत्र का भुगतान सत्यापनोंपरांत मासिक तौर पर किया जाएगा।
10. अपरिहार्य परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी का आदेश सर्वमान्य होगा।
11. न्यूनतम स्वीकृत दर पर तथा नियम एवं शर्तो पर आवश्यकतानुसार एक से अधिक किसी भी इच्छुक वाहन मालिकों के वाहन से सेवा ली जा सकती है।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

12. नियम एवं शर्तें के अनुसार कार्य नहीं करने वाले वाहन की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।

13. वाहनों की संख्या 20 से ज्यादा होने पर अपेक्षाकृत नये ट्रैक्टर को प्रथमिकता दी जाएगी।

14. विस्तृत जानकारी के लिए राँची नगर निगम, राँची के परिवहन कोषांग से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

उपरोक्त नियम एवं शर्तें के अधीन कार्य के इच्छुक मालिक/फर्म दिनांक 30.04.22 अप॰ 05 बजे तक Annexure:-01 को अधिकृत वेबसाईट www.ranchimunicipal.com से डाउनलोड कर वांछित विवरणी भरकर ट्रैक्टर के सभी वांछित कागजात के स्वाभिप्रमाणित प्रतियों के साथ ट्रांसपोर्ट सेल में जमा करेंगे।

22/4/22

सहायक नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

Annexure:-01

निगम में ट्रैक्टर(बिना ट्रेलर) की सेवा किराया पर देने हेतु विवरणी :–

1.वित्तीय विवरणी :–

दर(प्रतिदिन 08 घंटे के लिए)	अंकों में................ शब्दों में.. ....

2. तकनीकी विवरणी :–

ट्रैक्टर रजि॰ नं॰:–	
मालिक का नाम/मो॰ :–	
चालक का नाम/मो॰ :–	

Sl. no	Document Name	Validity Up to	Attached(Yes/No)
01	ट्रैक्टर का बीमा		
02	टैक्स टोकन		
03	फिटनेश प्रमाण पत्र(ट्रैक्टर)		
04	प्रदूषण प्रमाण पत्र		
05	चालक का ड्राईविंग लाईसेंस		
06	ड्राईवर का नाम एवं मो॰ न॰		
07	मालिक का आधार पैन कार्ड		
08	मालिक के बैंक पास बुक		

नोट :– उपरोक्त कागजातों के सही पाये जाने के उपरांत ही किसी ट्रैक्टर की सेवाएं लेने पर निर्णय लिया जाएगा।

मालिक का ह॰/–